


139



माननीय न्यायालय राज्ज्व मण्डल, न्यायालय केम्प उज्जैन। ५०५०।

५०५० 108 निगरानीर- 249 - I/09

श्री रम.वान. अमिनापुत्र  
वका उज्जैनकेम्प एट प्रस्तुत  
अ. १३/५/५९

- १- बाळमुहून्ड पिता गिरधारीरावजी. जाति कठार
  - २- सुरेश पिता गिरधारीरावजी. जाति कठार
- निवासीगण नन्दावता तल्लीठ व जिहा मन्सारी  
----- निगरानी कतागिण

विरुद्ध

- १- पिशांतिराव पिता मदनराव निवासी नन्दावता
- २- श्रीपाठ पिता उम्मेकराव निवासी नन्दावता
- ३- भूठाबाई पिता उम्मेकराव पति रंगनाथ कठार
- निवासी सुरेरा तच्छ २तछाम
- ४- कलाबाई पिता उम्मेकराव पति सुखराव कठार
- निवासी दमदम तच्छ मन्सारी
- ५- शकरराव पिता भैरुराव निवासी भावगढ तल्लीठ
- मन्सारी
- ६- गोविन्दराम पिता भैरुराव निवासी भावगढ
- तल्लीठ मन्सारी ----- विपक्षीगण

प्राधाना पत्र बन्सर्गत धारा ५० मु- राज्ज्व सक्षिता ।

प्राकीं अपर वायुक्त महीक्य के ५०५० ६२।०४-०५ निगरानी वादेश  
दिनांक १२।१२।०८ से बसन्वृष्ट एव दुक्ता होकर निम्न कारणा के  
बाधार पर निगरानी बन्दर अधि प्रस्तुत करते हे ।

माननीय महीक्य,

:- प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य :-

निगरानीकर्ता की ओर से प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हे कि  
निगरानीकतागिण की मौक्क बटवारे मे मिती मुमि सर्वे क्रमांक १२७२२ कवा  
०-५६६ वारी की विपक्षी क्रमांक २ लायत ४ ववारा औध रूप से विपक्षी  
क्रमांक १ की विपक्ष कर की तथा विपक्षी ५० १ ववारा सहायक बन्दीकृत  
वधिकारी कठ ५० १ मन्सारी के समेत ५०५० १०६।०६।६७-६८ दिनांक -  
२५।६।६८ के ववारा अपना नामान्तरण करवा लिया जिसकी जानकारी

५ (१५)

199

157

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/249/एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाधकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24/07/2018 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	